## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 841वी बैठक दिनांक 28.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 841वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-**

| क्र | प्रकरण क्र. | अधिसूचित श्रेणी | जिला | परियोजना | SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित | प्राधिकरण का निर्णय |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | P2/33/2024 | 1 (a) | रायसेन | फर्शीपत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 2. | P2/20/2024 | 1 (a) | नीमच | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 3. | P2/21/2024 | 1 (a) | रतलाम | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 4. | 6702/2019 | 1 (a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुन परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 5. | P2/14/2024 | 1 (a) | शिवपुरी | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 6. | P2/33/2024 | 1 (a) | आगरमालवा | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 7. | P2/22/2024 | 1 (a) | शाजापुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुन परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 8. | P2/51/2024 | 8 (a) | जबलपुर | भवन निर्माण | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 9. | P2/24/2024 | 1 (a) | नीमच | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 10. | P2/25/2024 | 1 (a) | सागर | पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 11. | P2/28/2024 | 1 (a) | इन्दौर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | पुन परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित |
| 12. | P2/27/2024 | 1 (a) | सतना | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 13. | 6322/2019 | 1 (a) | ग्वालियर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 14. | P2/50/2024 | 1 (a) | बालाघाट | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 15. | P2/34/2024 | 1 (a) | भोपाल | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 16. | P2/40/2024 | 1 (a) | सतना | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 17. | P2/19/2024 | 1 (a) | सागर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्पष्टीकरण |
| 18. | P2/48/2024 | 1 (a) | ग्वालियर | फर्शीपत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |

**(संजीव सिंह)**
**सदस्य सचिव**

**(अनिल कुमार शर्मा)**
**सदस्य**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | P2/49/2024 | 1 (a) | छतरपुर | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 20. | P2/45/2024 | 1 (a) | रायसेन | फर्शीपत्थर | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 21. | P2/30/2024 | 1 (a) | रीवा | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 22. | P2/36/2024 | 1 (a) | सतना | लेटेराईट खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 23. | 7334/2020 | 1 (a) | छतरपुर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 24. | 8277/2020 | 1 (a) | छतरपुर | ग्रेनाईट खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 25. | P2/31/2024 | 1 (a) | कटनी | चूनापत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 26. | P2/35/2024 | 1 (a) | खरगौन | पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं | निरस्त |
| 27. | P2/32/2024 | 1 (a) | शाजापुर | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 28. | 9673/2023 | 1 (a) | नीमच | पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 29. | P2/47/2024 | 8 (a) | इन्दौर | भवन निर्माण | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 30. | P2/46/2024 | 1 (a) | सिंगरौली | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 31. | P2/55/2024 | 1(a) | सीहोर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 32. | P2/54/2024 | 1(a) | सीहोर | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 33. | P2/56/2024 | 1(a) | भिण्ड | पत्थर खदान | For ToR | ToR स्वीकृत |
| 34. | P2/57/2024 | 1(a) | ग्वालियर | मुरूम खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 35. | P2/58/2024 | 1(a) | सीहोर | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 36. | P2/29/2024 | 1(a) | रीवा | पत्थर एवं एम. सेण्ड खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 37. | P2/307/2024 | 1(a) | उज्जैन | पत्थर खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति | स्वीकृत |
| 38. | 7633/2020 | 1(a) | सिंगरौली | रेत खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण | स्वीकृत |
| 39. | 7694/2020 | 1(a) | शहडोल | रेत खदान | पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण | स्वीकृत |
| **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा** | | | | | | |
| 1. | 7447/2020 | 1(a) | उमरिया | रेत खदान | ToR हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |
| 2. | 7441/2020 | 1(a) | उमरिया | रेत खदान | ToR हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |
| 3. | 7465/2020 | 1(a) | उमरिया | रेत खदान | ToR हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |
| 4. | 7466/2020 | 1(a) | उमरिया | रेत खदान | ToR हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |
| 5. | 7467/2020 | 1(a) | उमरिया | रेत खदान | ToR हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |
| 6. | 433/2009 | 1(a) | अलीराजपुर | डोलोमाईट खदान | पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण संशोधन | स्वीकृत |

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 841वी बैठक दिनांक 28.03.2024 का कार्यवाही विवरण

1. **प्रकरण क्र. P2/33/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री हुकुम सिंह धाकड़ आत्मज श्री केशरी सिंह धाकड़, निवासी–ग्राम कानपोहरा, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1584 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 190/1, ग्रम कानपोहरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 8384–85 दिनांक 03.07.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 02.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **रायसेन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **मानब बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

2. **प्रकरण क्र. P2/20/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, प्लाट नं. 5, गोविन्द नारायण सिंह गेट, चूना भट्टी, कोलार रोड़ भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50004 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 410, ग्रम मनासा, तहसील महागढ़, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

## राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 841वी बैठक दिनांक 28.03.2024 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 722वी बैठक दिनांक 15.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच के पत्र क्र. 757 दिनांक 07.05.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.05.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **नीमच जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 22 वृक्षों में से काटे जाने वाले 15 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 150 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

3. **प्रकरण क्र. P2/21/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल ओस्तवाल आत्मज श्री चन्द्रप्रकाश ओस्तवाल, निवासी– 14, पुराना अस्पताल रोड़ जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15105 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 146/1, ग्राम बड़ायला चौरासी, तहसील पिपलोदा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**उक्त प्रकरण में SEAC के पत्र क्र. 65 दिनांक 19.03.2024 के माध्यम से डॉ राजेन्द्र पाण्डेय, विधायक क्षेत्र क्र. 222 जावरा द्वारा की गई शिकायत की प्रति प्राधिकरण में दिनांक 20.03.2024 को प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत में ग्राम पंचायत बड़ायला चौरासी के ग्रामवासियों व सरपंच द्वारा लेख किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान की जाने वाले ब्लास्टिंग से शासकीय हाई स्कूल एवं मकानों की छत व दीवारों को नुकसान पहुंचा है तथा कुछ समय पूर्व शासकीय हाईस्कूल में हादसा हुआ है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का भी पालन नहीं किया जा रहा है इत्यादि के दृष्टिगत पर्यावरण स्वीकृति प्रदान न करते हुए योग्य कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।**

**अतः उक्त शिकायत की प्रति कलेक्टर, जिला रतलाम को भेजते हुए शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं के दृष्टिगत स्थल निरीक्षण उपरांत वास्तविक स्थिति के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये। तदानुसार परियोनजा प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

4. **प्रकरण क्र. 6702/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सुदामा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., संचालक श्री राजीव शर्मा, लाईन नं. 12, बिरला नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23520 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 147/1, ग्राम रफदपुर, तहसील ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान श्री सरदार सिंह गुर्जर एवं श्री नवल किशोक को स्वीकृत खदान के ऊपर ओवरलेव होना परिलक्षित है तथा परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन फार्म में भी परियोजना प्रस्तावक कम्पनी के संचालक का नाम राजीव बोहरे अंकित है जबकि संलग्न दस्तावेजों में राजीव**

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |

**शर्मा अंकित है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

5. **प्रकरण क्र. P2/14/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शशि द्विवेदी पत्नि श्री अरूण द्विवेदी, निवासी– 96, बलवंत नगर, गांधी रोड़ ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 734/9/1, ग्राम अटलपुर, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर शिवपुरी से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।**

6. **प्रकरण क्र. P2/23/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजपाल सिंह राठौर आत्मज श्री तेजपाल सिंह राठौर, निवासी– गुनाखेड़ी, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 338, ग्राम पिपल्याकलां, तहसील आगर, जिला आगर–मालवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के पत्र क्र. 681 दिनांक 23.08.2023 एवं पत्र क्र. 1021 दिनांक 21.12.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) आगर–मालवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

7. **प्रकरण क्र.** P2/22/2024 **परियोजना प्रस्तावक श्री विकास जैन आत्मज श्री विमल जैन, निवासी— बैरछा, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 4000 घनमीटर प्रतिवर्ष, एम.सेण्ड 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं ओबरबर्डन 10560 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा 1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, ग्राम कांजा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान प्रकरण क्र. 10823 श्री गजेन्द्र सिकरवार रकबा 4.0 हेक्टेयर की स्वीकृत है जिसके अनुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.70 हेक्टेयर होता है जिस कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी का प्रतीत होता है, जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शाजापुर द्वारा अपने एकल प्रमाण पत्र दिनांक 13.12.2023 में एक अन्य खदान 3.0 हेक्टेयर की स्वीकृत होना बताया गया है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

8. **Case No. P2/51/2024** Prior Environment Clearance for M/S DATT REAL INFRA FOR RESIDENTIAL PROJECT at Khasra 12/2, 12/4, 15, Mouza- Katiyaghat, N.B.-506, P.H. No.10/24 ,R. N. M.- Guriyaghat, Teshil - Ranjhi , Dist -Jabalpur. (M.P.) Total Land Area – 5250 Sq.M., Total Builtup Area - 33524.66 sqmtr by Shri Sudhir Chandra Datt, Director, Near Home Science College, 114/A Napier Town, Jabalpur (M.P.) 482002.. Cat. 8(a) Building Cons. ProjectsEnv. Consultant M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) proposal no. (INFRA2/456921/2023)

1. यह प्रकरण खसरा न. 12/2, 12/4, 15ग्राम कटियाघाट, तहसील रांझी जिला जबलपुर (मध्य प्रदेश) में कुल प्लॉट क्षेत्रफल– 5250 वर्गमीटर, कुल निर्मित क्षेत्र – 33254.66 वर्ग मीटर पर हाई राइज (आवासीय परिसर) भवन के निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल भूखंड क्षेत्र 5250 वर्गमीटर एव निर्मित क्षेत्र –33254.66 वर्गमीटर है। अतः ईआईए अधिसूचना 2006 और संशोधनों के अनुसार, परियोजना 8(a) (निर्मित क्षेत्र >20000 वर्गमीटर से <150000वर्ग मीटर तक ) के अंतर्गत 'बी' श्रेणी में सूचीबद्ध है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 724वीं दिनांक 17.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 30 से 45 तक अंकित है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 724 वीं बैठक दिनांक 17.02.2024की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (** SEIAA **की 840 वीं बैठक दिनांक 27.03.2024 के परिशिष्ट –2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

i- परियोजना के जल आपूर्ति हेतु नगर निगम, जबलपुर द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.10.23 में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

ii- परियोजना के लिये आवश्यक पानी की आपूर्ति नगर निगम, के माध्यम से की जावेगी, अपरिहार्य स्थितियों में भूजल निकासी हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जावेगा।

iii- सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से प्राप्त अनुमति के अनुसार समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

iv- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

v- प्रस्तावित भवन 60 मीटर ऊंचाई का एक उच्च स्तरीय भवन होगा। इसके निर्माण के दौरान पूर्ण सावधानी रखी जावे साथ ही भूमि विकास नियम 2012 के निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से पालन हो।

**(संजीव सिंह)**
**सदस्य सचिव**

**(अनिल कुमार शर्मा)**
**सदस्य**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

vi- परियोजना में 2 बेसमेंट भी प्रस्तावित है। जिन्हें बनाने के पूर्व खुदाई कार्य किया जावेगा जिससे आस – पास के अन्य संरचनाओं को क्षति पहुंच सकती है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन–धन हानि न हो।

vii- प्रस्तावित भवन में लिफ्ट की व्यवस्था, फायर सेफ्टी हेतु अलग से किया जाना होगा एवं इस हेतु संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

9. **प्रकरण क्र. P2/24/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री शान्तनु मिश्रा आत्मज श्री मनु मिश्रा, निवासी–बजरिया वार्ड नं. 7, दमोह जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 1/123, ग्राम कुलुवा (मारूताल), तहसील दमोह, जिला दमोह (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क्र. 10130 दिनांक 07.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **दमोह जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त सागर की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 12/08/2022 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर 150 मीटर नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

10. **प्रकरण क्र. P2/25/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. अग्रवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., प्रोजेक्ट मैनेजर श्री राजेन्द्र कुमार पोरवाल, निवासी–6, सजीत मार्ग, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 150036 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 620/1, रकबा 1.85 हेक्टेयर, ग्राम मरदानपुरा, तहसील राहतगढ़, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार लीज क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ परिलक्षित है जिसके संबंध में लीज स्वीकृति आदेश एवं SEAC के कार्यवाही विवरण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि उक्त क्षेत्र में अवैध उत्खनन हुआ है। अतः कलेक्टर सागर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त लीज क्षेत्र में पूर्व में किससे द्वारा उत्खनन किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।**

11. **प्रकरण क्र. P2/28/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज यादव आत्मज श्री मुकेश यादव, निवासी–36, श्री विहार कॉलोनी, खण्डवा रोड़, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 357/1/1, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम हतुनिया, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान के अंदर से हाईटेशंन लाईन तथा लीज क्षेत्र के समीप विद्युत सबस्टेशन व मानब बसाहट परिलक्षित है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र के बाहर (बैरियर जोन) भी खनन कार्य किया जाना भी परिलक्षित है। अतः उपरोक्त पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये तथा SEAC द्वारा उक्त संवेदनशीलता के दृष्टिगत कलेक्टर, इन्दौर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त करने उपरांत अनुशंसा सहित SEIAA को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. P2/27/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि. (SIIPL) एवं मेसर्स शिवशक्ति कान्स्ट्रक्यरल कम्पनी (SCC), एमआईजी 27, हाउंसिग बोर्ड कॉलोनी, बोडा बाग, वार्ड नं. 7 हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 144876 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.364 हेक्टेयर, खसरा 571पी, ग्रम पपरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना के पत्र क्र. 1865 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 10 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों संरक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

13. **प्रकरण क्र. 6322/2019 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स, साईं मिनरल्स, श्री संजय जैन, निवासी–सीएल 34, दीनदयाल नगर, जिला–ग्वालियर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85034 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हे0 खसरा क्रमांक 3619/3, ग्राम–बिलौआ, तहसील–डबरा, जिला–ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 13894–95 दिनांक 27.07.2013 एवं लीज नवीनीकरण आदेश क्र. 3542 दिनांक 15.03.2024 के माध्यम से दिनांक 08.05.2024 से 10 वर्ष हेतु लीज स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 07.05.2034 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 04 वृक्षों में से काटे जाने वाले 01 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 10 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

14. प्रकरण क्र. P2/50/2024 परियोजना प्रस्तावक रमेश अंतठी आत्मज श्री सतैया अंतठी, निवासी— ग्राम रजमा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20777 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.214 हे0 खसरा क्रमांक 35/2, ग्राम—गर्राटोला, तहसील—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व प्र्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट—ए) सहित प्र्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय प्र्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्र्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक—ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट—1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बालाघाट के पत्र क्र. 859 दिनांक 25.07.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24.07.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) बालाघाट जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. P2/34/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दीपेन्द्र सिंह राजपूत आत्मज स्व. श्री भागवान सिंह राजपूत, निवासी— सूर्यानगर, समशाबाद, जिला विदिशा (म0प्र0) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हे0 खसरा क्रमांक 255/2/2, ग्राम—नीलबड़, तहसील—हूजूर, जिला—भोपाल (म.प्र.) की पूर्व प्र्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 11276 दिनांक 24.08.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 23.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **भोपाल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

16. **प्रकरण क्र. P2/40/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पूनिया बाई कोंदर पत्नि श्री भरत कोंदर, निवासी– वार्ड नं. 1, पांडेपुरवा, अजयगढ़, आरामगंज, जिला पन्ना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,22,102 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा 307/3क, ग्रम लिलौरी, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

शर्तों एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर एवं बैरियर जोन में किये गये उत्खनन के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट एवं पक्की सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. **प्रकरण क्र.** P2/19/2024 **परियोजना प्रस्तावक श्री संजय कुमार जैन आत्मज श्री सुरेश चंन्द्र जैन, निवासी– पुराना बाजार बहादुरपूर, मुंगावली, जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5025 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.00 हेक्टेयर, खसरा 909, ग्राम बसाहरी, तहसील खुरई, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

**परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र का बैरियर जोन तथा बैरियर जोन के आगे भी खुदा हुआ परिलक्षित है जिससे प्रतीत होता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन किया गया है। अतः कलेक्टर सागर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत लीज एरिया के बाहर कितना खनन किया गया है और बिना अनुमति अवैध उत्खनन किये जाने के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार स्वीकृत लीज एरिया के चारो ओर 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ा जाना था लेकिन इस प्रकरण में बैरियर जोन में भी खुदाई की गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज एरिया में की गई खुदाई को रि–स्टोर कर पुनः पूर्व स्थिति में लाया जाये एवं फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश के शीघ्र**

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तुत किये जायें। खुदे हुए बैरियर जोन के संबंध में यदि संबंधित विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका विवरण भी प्रस्तुत किया जाये।

18. **प्रकरण क्र. P2/48/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती राजकुमारी आदिवासी पत्नि श्री इंदर आदिवासी, निवासी– ग्राम इकहरा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 948, ग्राम जखौदा, तहसील घाटीगांव, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

19. **प्रकरण क्र. P2/49/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजेय मिनरल्स, पार्टनर श्री देवेन्द्र शिवहरे, निवासी– मकान नं. 4–1, इंदिरा नगर, कबरई, जिला महोबा (उ.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 589, ग्राम महोबा, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 724 वी बैठक दिनांक 17.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही**

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित मानब बसाहट से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

20. **प्रकरण क्र. P2/45/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा माईन्स एवं मिनरल्स, पार्टनर श्री प्रकाश इसरानी, निवासी– 4/1, संजय कॉम्पलेक्स, माता मंदिर के पास, टीटी नगर, भोपाल (म.प्र.) द्वारा फर्शीपत्थर पत्थर (आकारीय पत्थर) खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5235 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 23/1, 23/2, ग्राम मिर्जापुरपाली, तहसील रायसेन, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायसेन के पत्र क्र. 895 दिनांक 19.06.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 18.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **रायसेन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

**(संजीव सिंह)**
**सदस्य सचिव**

**(अनिल कुमार शर्मा)**
**सदस्य**

**(अरूण कुमार भट्ट)**
**अध्यक्ष**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. **प्रकरण क्र. P2/30/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री उपेन्द्र सिंह सेंगर आत्मज श्री नागेश्वर सिंह, निवासी– वार्ड नं. 6, बहेरा डाबर मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 12059 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 8/13, ग्राम हर्रहा, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तो का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अंक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान अदयपुर सप्लायर्स एवं विन्ध्यवासिनी को स्वीकृत खदान के ऊपर ओवरलेव होना परिलक्षित है। अतः उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण सहित जानकारी ईआईए प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाये।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

22. **प्रकरण क्र. P2/36/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिवा इंजीनियरिंग, प्रो. श्री सुनील कुमार खरे, निवासी– 100–जी, गली नं. 4, नियर हनुमान मंदिर, धवारी, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा लेटेराईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 40693 टन प्रतिवर्ष, रकबा 1.299 हेक्टेयर, खसरा 39/1, 40, 41, 42/1पी, ग्राम कुलखात, तहसील मझगवां, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 11548–49 दिनांक 29.08.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 28.08.2053 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **सतना जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।**

(v) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 24 वृक्षों में से काटे जाने वाले 12 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 120 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

23. **प्रकरण क्र.** 7334/**2020 परियोजना प्रस्तावक श्री धमेन्द्र राय आत्मज श्री हरीलाल राय, निवासी– वार्ड नं. 3, रघुराजगंज हरपालपुर, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 696पी, ग्राम उदयपुरा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर के पत्र क्र. 3028 दिनांक 15.12.2017 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 14.12.2027 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।**

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।**

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

24. **प्रकरण क्र. 8277/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.आर.बी. मिनरल्स, नियर गायत्री मंदिर, जवाहर रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1800 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.875 हेक्टेयर, खसरा 1640/1, ग्राम छतेही बम्होरी, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 7986–89 दिनांक 09.05.2016 अनुसार 30 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 08.05.2046 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षो के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यो को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. P2/31/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करमचंद एसोसिएट्स, सिविल लाईन जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 5,00,940 टन प्रतिवर्ष से 15,00,610 टन प्रतिवर्ष, रकबा 26.57 हेक्टेयर, खसरा 75/1, 75/2पी, 74पी, 100पी, 103/1पी, 103/2पी, 103/3पी, 134पी, 135, ग्रम सलैया पहराई, तहसील विजयराघौगढ़, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान **के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना** प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के **संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

**26.** प्रकरण क्र. P2/35/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री विकास पुलोरिया, निवासी– 149, राधावल्लभ मार्केट, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता गिट्टी 10000.5 घनमीट प्रतिवर्ष एवं एम.सेण्ड 10000.5 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 **हेक्टेयर, खसरा 07 पैकी, ग्रम मोमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :–

*"..........प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पहले यह लीज किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक को मिली थी, जो कि वर्तमान परियोजना प्रस्तावक को लीज हस्तातंरण हुई है परन्तु ई.सी. ट्रांसफर नहीं हुई है, अतः यह प्रकरण ई.सी ट्रांसफर के पश्चात ई.सी. अमेन्डमेन्ट का प्रकरण है। अतः प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।"*

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 725वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

27. **प्रकरण क्र. P2/32/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नीलम रामडिया पत्नि श्री मनीष रामडिया, निवासी– फ्रीगंज शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 17242 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 9546 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.266 हेक्टेयर, खसरा 635/2, 629/4, 629/5, 629/1, 629/2/4, 632/1, 632/2, ग्रम हिराना, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के बाहर एवं बैरियर जोन में किये गये उत्खनन के संबंध में विस्तृत जानकारी के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. **प्रकरण क्र.** 9673/2023 **परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ललिता पाटीदार पत्नि श्री पवन पाटीदार, निवासी–मकान नं. 19/51, महाराणा बंगला, जिला नीमच (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर फॉर एम.सेण्ड 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.70 हेक्टेयर, खसरा नं. 120, ग्राम गिरदौड़ा, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) नीमच के पत्र क्र. 1435 दिनांक 14.11.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 13.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथ क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के कियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातें में जमा की जावे। खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के कियान्वयन सुनिश्चित किया जावें एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. **Case No P-2/47/2024:** Prior Environment Clearance for Proposed Expansion of"Jupiter Hospital" Indore(M.P.),at Survey No. 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 90/1, 91/2,91/3, 92/2/1, 97/2 Village Chitawad& Plot No. 2, ring Road, Yojna No. 94, Sector-1 Tehsil Indore District Indore (M.P.). Total Built-up Area of the Project will be - 44216.1 m2 by Dr. Rajesh Kasliwal, Director, M/s Jupiter HospitalProjectsPvt.Ltd.,.Cat: 8(a) Building /Cons. Project(INFRA2/459573/2024)

1. यह प्रकरण खसरा क्रमांक 89/1/1, 89/1/2, 89/1/3, 90/1, 91/2, 91/3 92/2/1, 97/2 ग्रामचितावद एवंप्लॉटनंबर 2, रिंगरोड, योजना नंबर 94, सेक्टर–1 तहसील इंदौर जिला इंदौर (म.प्र.) में" ज्यूपिटर हॉस्पिटल" के प्रस्तावित विस्तार का है। परियोजना का कुल निर्मित क्षेत्र – 44216.1 वर्ग मीटर है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 725 वी दिनांक 20.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया,उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 37 से 47 तक अंकित है।
3. पूर्वं EC नंबर EC22B038MP173908 दिनांक के माध्यम से 400 बिस्तरों और 42207.76 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के लिए दिनांक 16.12.2022 को पर्यावरण स्वीकृति जारी किया गया है। अतः प्रस्तावित विस्तार में बिस्तर क्षमता वही अर्थात् 400 बिस्तर होगी।प्रस्तावित विस्तार 9वीं मंजिल में किया जाएगा।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधारपर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 724 वीं बैठक दिनांक 17.02.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से Vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों ( SEIAA की 840 वीं बैठक दिनांक 27.03.2024 के परिशिष्ट –2) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

I. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भोपाल द्वारा जारी सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 20.02.24 में उल्लेखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
II. सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 20.02.24 में उल्लेखित *General observations:*

   *Performance evaluation of STP and ETP needs to be undertaken through a third party expert agency of repute and based on the outcome of the study, necessary corrective measures shall be undertaken* की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
III. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
IV. परियोजना विस्तार हेतु आवश्यक वैधानिक अनुमति सम्बंधित विभागों से अनिवार्य रूप से प्राप्त करने उपरांत ही परियोजना विस्तार की कार्यवाही की जावे।
V. मध्य प्रदेश प्रदूषन नियन्त्र बोर्ड से जारी से CTO का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें ।
VI. क्षेत्रीय कार्यालय, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, भोपाल द्वारा जारी सर्टिफाइड कंप्लायंस रिपोर्ट दिनांक 20.02.24 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें।

**परियोजना प्रस्तावक को मंजूर की गई पर्यावरणीय स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित विशिष्ट शर्तों के बिंदु vi के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पर्यावरण स्वीकृति जारी की जा सकेगी।**

**30. प्रकरण क्र. P2/46/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार सिंह आत्मज श्री हरिशचन्द्र सिंह, निवासी– वार्ड नं. 3, म.नं. 1, सिविल लाईन, कोतरकला, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20186 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 10, 11, 12, 18, 20, ग्राम भरसेंड़ी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तो का पूर्णतः परिपालन कर अनुपालन प्रतिवेदन ईआईए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

31. **प्रकरण क्र. P2/55/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शीतल राय पत्नि श्री सौमेन राय, निवासी– जल एन्कलेव सिल्वर स्प्रिंग फेस–2, बायपास मुडला नायता, जिला इन्दौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 401/1, ग्प्रम रफीकगंज, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| --- | --- | --- |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. **प्रकरण क्र. P2/54/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता ठाकुर पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी– ग्राम अरनियाराम, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 26000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 2/1, ग्राम खानदौरापुर, तहसील आष्टा, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व से खुदे हुए लीज क्षेत्र के संबंध में विस्तृत जानकारी ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पास स्थित पक्की सड़क से माननीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

33. **प्रकरण क्र. P2/56/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती रेनू पत्नि श्री रवि गुर्जर, निवासी–ग्राम धनेला, बानमौर, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 49305 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.50 हेक्टेयर, खसरा 435, ग्राम अतरसोहा, तहसील मौ, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट एवं मानक शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में SEAC की 725 वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं मानक शर्तो (संलग्नक–डी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों एवं प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–5) सहित प्रकरण में ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

I. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत, संचालित एवं निरस्त खदानों के पूर्ण विवरण ईआईए प्रतिवेदन में समावेश किया जाये। इसके साथ ही प्रस्तावित खदान में पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही इस खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित संचालित खदानों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का संबंधित परियोजना प्रस्तावकों द्वारा परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं, के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में अनिवार्यतः समाहित किया जाये।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

34. **प्रकरण क्र. P2/57/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री निर्दोष कुमार शर्मा आत्मज श्री रामखिलौना शर्मा, निवासी– ग्राम बधौली सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.853 हेक्टेयर, खसरा नं. 1036, ग्राम बधौली, तहसील सिटी सेन्टर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 13200 दिनांक 05.10.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 04.10.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **ग्वालियर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **हाईटेंशन लाईन से न्यूनतम 50 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(iv) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को गैर खनन के रूप में छोड़ा जायेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

35. **प्रकरण क्र. P2/58/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश परमार आत्मज श्री किशोरीलाल परमार, निवासी–ग्राम शाहपुरकोडिया, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35550 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 10, ग्राम धबोटी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व र्प्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तो (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 1760 दिनांक 20.06.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 19.06.2033 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **सीहोर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **तालाब से न्यूनतम 200 मीटर तक"** नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। **(माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद 15 वृक्षों में से काटे जाने वाले 05 पेड़ों के एवज में क्षतिपूति वृक्षारोपण के तहत रोपित 50 पौधों का एवं शेष बचे वृक्षों सरंक्षण किया जायेगा एवं उक्त पौधो के संरक्षण हेतु ट्री–गार्ड लगाये जायें।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

36. **प्रकरण क्र. P2/29/2024 परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप सिंह आत्मज श्री अंजनी कुमार सिंह,** निवासी– ग्राम जरहा, पोस्ट मनगंवा, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35550 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC की अनुशंसा अनुसार), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 432, ग्राम सीतापुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व र्प्यावरणीय **स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्र. 11419–22 दिनांक 25.08.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 24.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

(ii) रीवा जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा संभागीय आयुक्त रीवा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 11/07/2023 की अनुशंसा अनुसार** वन सीमा क्षेत्र की ओर 105 मीटर नो माईनिंग जोन छोड़ते हुए वन मंडल अधिकारी के निर्देशन में चेनलिंग फेसिंग एवं ट्रेचिंग कार्य करेगा। वन मंडलाधिकारी के निर्देशन मे वन सीमा की ओर सघन वृक्षारोपण करेगा तथा वन भूमि के अंदर मलबा नही डालेगा **तथा अन्य सभी शर्तों का भी परिपालन सुनिश्चित किया जाये।**

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

**37. प्रकरण क्र. P2/307/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्रा.लि., उपाध्यक्ष श्री अभय शंकर पाण्डे, निवासी–04–105, सौम्या चौराह, आर.एच. कापडिया के पास, नियर गोवर्धन पार्टी प्लॉट, धलटेज, अहमदाबाद (गुजराज) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 663, ग्राम बंजारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व र्प्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित र्प्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

**राज्य स्तरीय र्प्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में र्प्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 725वी बैठक दिनांक 20.02.2024 की विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो (संलग्नक–ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तो के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट–1) सहित प्रकरण में र्प्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–**

(i) **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्र. 202 दिनांक 17.01.2024 अनुसार 730 दिवस की अवधि तक के लिये सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.01.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

(ii) **उज्जैन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(iii) **परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।**

**परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

38. <u>प्रकरण क्रमांक 7633/2020</u> पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. ट्रान्सपोर्ट एण्ड कान्सट्रक्शन लि. निवासी 65–A, ट्रान्सपोर्ट नगर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ) – 486889, द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 4.00 हे., उत्पादन क्षमता 69,300 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01, ग्राम पिपराकुरन्द–2, तहसील व, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्वा सिंह उमरे, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

**नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. ट्रान्सपोर्ट एण्ड कान्सट्रक्शन लि. के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्वा सिंह उमरे, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्वा सिंह उमरे, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 534–35/एसईआईएए/2020 दिनांक 17.05.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 1763 दिनांक 23.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19–2–2019–बारह–1–पार्ट–6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली के पत्र क्र. 3887 दिनांक 09.11.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :–

1. The proposed sand mine of District Singauli auctioned as per tender dated 27-09-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.
2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).
3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 69300 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.
4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.
5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceeding the time period of five years.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर.के. ट्रान्सपोर्ट एण्ड कान्सट्रक्शन लि. निवासी 65–A, ट्रान्सपोर्ट नगर, जिला कोरबा (छत्तीसगढ) – 486889, को रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 4.00 हे., उत्पादन क्षमता 69,300**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

**घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01, ग्राम पिपराकुरन्द–2, तहसील व, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री योद्वा सिंह उमरे, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्विितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 17.05.2021 में विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 16.05.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के वार्षिक पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन रिकार्ड कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में समावेश किया जाए एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी अनिवार्यतः समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

IV. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 17.05.2021 में निहित वृक्षारोपण की विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा किया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये।

V. जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 17.05.2021 में निहित सी.ई.आर. विशिष्ट शर्त अनुसार प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

VII. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

**तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |

39. प्रकरण क्रमांक 7694/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कान्स्ट्रक्सन. अधि झारिया, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर,(म.प्र.) द्वारा रेत खदान, (ओपेनकार 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 96300 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 39/534, ग्राम मसीरा, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

**नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. जिला खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल द्वारा पूर्व परियोजना प्रस्तावक **मेसर्स वंशिका कान्स्ट्रक्सन. अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर** के पक्ष से नवीन परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांलरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया गया है व किसी भी नियम का उलंघन नही किया गया है तथा उक्त रेत खदान के संबध मे कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है।

II. दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र 457–58/एसईआईएए/2021 दिनांक 13.05.2021 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पत्र क्र. 779 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन अनुमोदित खनन योजना मय पुर्नभरण अध्ययन की प्रति।

VI. खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन द्वारा पत्र क्र. एफ 19–2–2019–बारह–1–पार्ट–6 दिनांक 31.05.2023 के माध्यम से नवीन परियोजना प्रस्तावक (दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.) के नाम लीज स्वीकृत पत्र की प्रति।

VII. प्रभारी अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल के पत्र क्र. 877 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार SEIAA 717 बैठक दिनांक 08.04.2022 में रेत खदानों की पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदित उक्त प्रकरण के संबंध में लिये गये निर्णयानुसार अभिप्रमाणीकरण किया गया है :–

1. The proposed sand mine of District Shahdol auctioned as per tender dated 29-06-2023 has been updated in the new District Survey Report and uploaded new DSR.

| | | |
|---|---|---|
| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

2. The annual production capacity of proposed sand mines in approved mining plan is not exceeding the quantity mentioned in the letter of intent (LoI).

3. The field verification/spot verification of leases has been done and now the replenished available quantity is 360000 cubic meter of sand mentioned in the annual replenishment study of approved mining plan.

4. That the earlier PP has complied all the EC conditions and any legal issue related with EC is not pending in the court.

5. Prior Environment Clearance issued by SEIAA is not exceeding the time period of five years.

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंशिका कान्स्ट्रक्सन. अधिकृत व्यक्ति श्री रामलाल झारिया, निवासी देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.), को रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 20.00 हे., उत्पादन क्षमता 96300 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 39/534, ग्राम** मसीरा, तहसील जयसिंहनगर जिला शहडोल (म.प्र.) **की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक** दि म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., **अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तो के साथ हस्तांतरित किया जाता है :–**

I. **उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2021 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्ते यथावत रहेगी तथा पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में अधिकतम 12.05.2026 तक वैध मान्य रहेगी।**

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वार पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति में निहित उत्पादन क्षमता से अधिक का उत्खनन नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

III. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा रेत के वार्षिक पुर्नभरण मात्रा का वास्तविक आकलन रिकार्ड कर उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन योजना में समावेश किया जाए एवं सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य आरंभ किया जाये एवं तदानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी अनिवार्यतः समावेश कर अद्यतन करवाया जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पूर्व पर्यावरण स्वीकृति, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं निविदा में निविदत्त मात्रा में से जो भी न्यूनतम हो पर ही उत्खनन किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिले की निविदा में निविदत्त मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

V. पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2021 में निहित वृक्षारोपण की विशिष्ट शर्त के अनुसार वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा किया जाये तथा इस हेतु निर्धारित धनराशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा किया जाये।

VI. जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 13.05.2021 में निहित सी.ई.आर. विशिष्ट शर्त अनुसार प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि

| (संजीव सिंह)<br>सदस्य सचिव | (अनिल कुमार शर्मा)<br>सदस्य | (अरूण कुमार भट्ट)<br>अध्यक्ष |
|---|---|---|

आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

VII. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।**

VIII. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

**तदानुसार सर्व संबंधितो को सूचित किया जाये।**

## अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

**प्राधिकरण की 838 वीं बैठक दिनांक 12.03.24 के कार्यवाही विवरण में उमरिया जिले ToR हस्तांतरण के प्रकरणों में बिन्दु क. VI में SEIAA की बैठक 723 दिनांक 13.05.2022 के स्थान पर त्रुटिवश 717 दिनांक 08.04.2022 हो गई है, व उक्त के बिन्दु क. 1 में जिले का नाम उमरिया के स्थान पर सिंगरौली टंकित हो गया है तथा इसी प्रकार अलीराजपुर जिले के पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के प्रकरण में लीज की वैधता दिनांक 29.10.2033 के स्थान पर 10.12.2030 टंकित हो गई है। उक्त प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–**

1. Proposal No- SIA/MP/MIN/458801/2024 प्रकरण क्रमांक 7447/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई–7/एम–708, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.). द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 9.50 हे., उत्पादन क्षमता 95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 566/1226, ग्राम गोवर्दे, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) के ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गयाप्रसाद आंजने, पर्यावास भवन, ब्लाक ए. द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

2. Proposal No- SIA/MP/MIN/458813/2024 प्रकरण क्रमांक 7441/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी– ई–7/एम–708. अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.), द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 5.260 हे., उत्पादन क्षमता 78,900 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 01. ग्राम कोयलारी, तहसील चंदिया, जिला उमरिया (म.प्र.) के ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि.. अधिकृत व्यक्ति श्री गयाप्रसाद आंजने, पर्यावास भवन, ब्लाक ए. द्वितीय तल. जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

3. Proposal No- SIA/MP/MIN/458859/2024 प्रकरण क्रमांक 7465/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि., अधिकृत व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी– ई–7/एम–708, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.). द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 5.744 हे.. उत्पादन क्षमता 57,440 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 29/1, 29/2, ग्राम कोडार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) के ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गयाप्रसाद आंजने, पर्यावास

| (संजीव सिंह) | (अनिल कुमार शर्मा) | (अरूण कुमार भट्ट) |
|---|---|---|
| सदस्य सचिव | सदस्य | अध्यक्ष |

भवन, ब्लाक ए. द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

4. Proposal No- SIA/MP/MIN/458854/2024 प्रकरण क्रमांक 7466/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि. अधिकृत व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई–7/एम–708, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.). द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 6.00 हे., उत्पादन क्षमता 63,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 263, 350, ग्राम मुडगुडी, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) के ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गयाप्रसाद आंजने, पर्यावास भवन, ब्लाक ए. द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

5. Proposal No- SIA/MP/MIN/458833/2024 प्रकरण क्रमांक 7467/2020 पूर्व परियोजना प्रस्तावक मेसर्स आर. एस.आई. स्टोन वर्ल्ड प्रा.लि.. अधिकृत व्यक्ति श्री वीरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी– ई–7/एम–708, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल (म.प्र.). द्वारा रेत खदान, (ओपेनकास्ट मैनुअल विधि) रकबा 6.981 हे. उत्पादन क्षमता 69,810 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 05, ग्राम खैरभार–2. तहसील चंदिया, जिला उमरिया (म.प्र.) के ToR को नवीन परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. स्टेट माईनिग कार्पोरेशन लि., अधिकृत व्यक्ति श्री गयाप्रसाद आंजने, पर्यावास भवन, ब्लाक ए. द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

6. प्रकरण क्रमांक 433/2009 पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णकांत् कोठारी, निवासी– 189, महात्मा गांधी मार्ग, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, रकबा 6.790 हे. उत्पादन क्षमता 2025 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 114, 248, 250, 251, 255, ग्राम भोरदू, तहसील अलीराजपुर जिला अलीराजपुर (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवासी आकृती ग्रीन, ए–3/605, सलईया, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत।

**प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरणों में प्राधिकरण की 838 वीं बैठक दिनांक 12.03.24 में उमरिया जिले के ToR हस्तांतरण के प्रकरणों में कार्यवाही विवरण के बिन्दु क. VI में SEIAA की बैठक 717वी बैठक दिनांक 08.04.2022 के स्थान पर 723वी बैठक दिनांक 13.05.2022 तथा प्रकरण क्र. 7467/2020 में उत्पादन क्षमता 89810 घनमीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर 69810 घनमीटर प्रतिवर्ष पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है तथा प्रकरण क्र. 433/2009 में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता 10.12.2030 के स्थान पर 29.10.2033 पठन किये जाने हेतु संशोधन किया जाता है। तदानुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।**

| | | |
|---|---|---|
| **(संजीव सिंह)** | **(अनिल कुमार शर्मा)** | **(अरूण कुमार भट्ट)** |
| **सदस्य सचिव** | **सदस्य** | **अध्यक्ष** |